कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी शिवालिक वन प्रभाग सहारनपुर

पत्रांक 2833 /14-1 सहारनपुर दिनांक 22, मार्च 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर ।

विषय– शिवालिक वन प्रभाग में छुटमलपुर–गणेशपुर भाग(एन0एच0–72ए) किमी0 4.100 से 16.000 तक तथा रूडकी–छुटमलपुर–सहारनपुर–यमुनानगर(एन0एच0–73) किमी0 22.000 से 23.000 तक चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 39.295 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4436 वृक्षों के पातन व सा0वा0 प्रभाग सहारनपुर में किमी0 28.300 से 70.000 तक 4 लेन चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 30.966 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 3408 वृक्षों के पातन, कुल 70.201 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 7844 वृक्षों के पातन, कुल 70.201 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 7844 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ, का पत्रांक 1419/सहारनपुर/17752/2016 दि0 06.01.2017

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित है।

Ob. No.	Observation of nodel officer	Reply
1	2	3
1	प्रस्ताव के साथ संलग्न क्षतिपूरक वनीकरण के प्राक्कलन में 10 वर्षो के अनुरक्षण एवं प्रतिवर्ष अनुमानित वृद्धि का समावेश नहीं किया गया है।	क्षतिपूरक वनीकरण के प्राक्कलनों में 10 वर्षो के अनुरक्षण एवं प्रतिवर्ष अनुमानित वृद्धि का समावेश कर लिया गया है।
2	प्रस्ताव के साथ संलग्न क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल के डिजिटल मैप को प्राक्कलन के मध्य में है, अतः प्राक्कलन के मध्य में न संलग्न कर समस्त डिजिटल मैप एक साथ संलग्न करें, ताकि प्रस्ताव परीक्षण में भ्रम की स्थिति न उत्पन्न हो।	निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
3	जालौन वन प्रभाग में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की उपयुक्तता निर्धारित प्रारूप में नहीं है।	जालौन वन प्रभाग में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की उपयुक्तता निर्धारित प्रारूप में संलग्न की गयी है।
4	सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर में प्रभावित वन भूमि की एन0पी0वी0 की गणना संलग्न नहीं है। ईको क्लास के अनुसार गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	समाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर के अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि की एन0पी0वी0 की गणना संलग्न कर दी गयी है।
5	वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का मूल प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किया गया है तथा	प्रयोक्ता एजेन्सी स्तर से निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

	प्रमाण–पत्र पर जिलाधिकारी की सील अंकित नहीं है। सील अंकित कराकर मूल प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	
6	प्रस्तावित स्थल के 10 किमी0 की परिधि में कोई वन्यजीव बिहार/सेन्चुरी स्थित होने के सम्बन्ध में दोनों प्रभागों के प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	वांछित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
7	आन लाइन पार्ट–2 व 3 पर संस्तति अंकित कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं की गयी है।	आन लाइन पार्ट–2 व 3 पर संस्तुति अंकित कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की गयी है।
8	मार्ग चौडीकरण का एक लीनियर प्लान जिसमें विद्यमान R.O.W प्रस्तावित R.O.W एवं चौडीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु अवशेष वन भूमि को मीटर में दर्शाया गया हो, संलग्न नहीं है।	वांछित लीनियर प्लान संलग्न कर दिया गया है। चौडीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु भूमि अवशेष नहीं रहेगी।
9	मार्ग चौडीकरण के उपरान्त क्षतिपूरक वनीकरण हेतु अवशेष वन भूमि की गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	मार्ग चौडीकरण के उपरान्त भूमि अवशेष नहीं बचेगी, इसलिये वन भूमि की गणना संलग्न नहीं की गयी है।
10	मार्ग चौडीकरण के उपरान्त क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित सलग्न नहीं है।	मार्ग चौडीकरण के उपरान्त भूमि अवशेष नहीं बचेगी, इसलिये क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन संलग्न नहीं किया गया है।
11	उपरोक्तानुसार सूचनाओं को पूर्ण कर प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या व विषयसूची को संशोधित करें।	अनुपालन कर लिया गया है।

अतः विषयांकित कम में लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण करते हुये प्रस्ताव की तीन प्रतियां संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्तानुसार प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विजय सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
शिवालिक वन प्रभाग
सहारनपुर